4

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

1028(9) 17/09/2018

संoसं09 / आ0–02–06 / 2018 / स्वा0 / पटना,दिनांक / डा0 प्रमोद कुमार, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुर्था, अरवल को दिनांक 07.06.2018 को शराब का सेवन करते हुए गिरफ्तार किये जाने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम 4 के उल्लंघन के लिए सी0 सी0 ए0 रूल्स 2005 के नियम 9 (2)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय सिविल सर्जन, अरवल का कार्यालय होगा।

2. निलम्बन अवधि में डा0 प्रमोद कुमार को सी0सी0ए0 रूल्स 2005 के नियम 10 के तहत मात्र जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

3. डा0 प्रमोद कुमार के इस कुकृत्य के लिए उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही चलाये जाने हेतु अलग से आदेश निर्गत किया जा रहा है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0 / –
(नागेन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव,

ज्ञापांकः 1028(9) / स्वा0, पटना , दिनांकः 17/09/2018

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, (ले0 एं0 ह0) बिहार पटना / अवर सचिव, वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें मगध प्रमंडल गया / सिविल सर्जन अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– डा0 प्रमोद कुमार, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुर्था, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री (स्वा0) के आप्त सचिव / प्रधान सचिव स्वा0 के निजी सहायक / निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाऐं बिहार पटना / प्रशाखा पदाधिकारी 2,3,5,7,8,10, 17 एवं 18ए स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव